न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 60/2017 (Rcms No. 2017/00190)

उनवानी प्रकरण :–

1. बदन सिहं पुत्र विरखे जाति गूजर निवासी कोटरी थाना बसईडॉग जिला धौलपुर ———————————————— प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर ———— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1959

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री रामअवतार गौड अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 30.05.2018

निर्णय

जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपने आदेश क्रमॉक न्याय/आर्म्स/2008/815–23 दिनांक 27.5.2008 के द्वारा प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनॉक 27.05.2008 के आधार पर निरस्त किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में दायर की गयी। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनॉक 26.9.2017 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के आदेश दिनांक 27.5.2008 प्रार्थी की हद तक निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी (अपीलान्ट) को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तार्किक एवं न्याय संगत एवं स्पीकिंग आदेश पारित करें तथा नियमानुसार अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण की कार्यवाही करें।

माननीय न्यायालय संम्भागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश दिनांक 26.9.2017 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा प्रार्थी को अपने पक्ष में साक्ष्य एवं जबाब प्रस्तुत करने हेतु

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री रामअवतार गौड अभिभाषक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनॉक 22.02.2018 के द्वारा अवगत कराया, कि प्रार्थी के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के सम्बंध में थानाधिकारी बसईडॉग एवं वृत्ताधिकारी बाडी से जॉच कराने पर पाया गया, कि प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र गूजर आन्दोलन के दौरान निरस्त किया गया था। प्रार्थी द्वारा आर्म्स का इस अवधि में कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध मु0 नम्बर 17/81 धारा 147, 148, 149, 307, 302 आई पी सी दिनांक 22.5.1981 को दर्ज होकर सीएस संख्या 2/82 दिनांक 7.2.21982 में किता की जाकर चालान पेश दिनांक 08.02.1982 एम जे एम बाडी में किया गया लेकिन शस्त्र कय वर्ष 2003 से आज तक प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर कोई भी मुंकदमा पंजीबद्ध नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। मुकामी पुलिस को नवीनीकरण किये जाने बावत कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के शस्त्र का भौतिक निरीक्षण कर लिया गया है जिसकी वैध अवधि समाप्त होने पर शस्त्र को जमा कर लिया गया था। थानाधिकारी थाना बसईडॉग एवं वृताधिकारी बाडी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा की है ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी को आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 03/2003 वर्ष 2003 में जारी किया गया था जो दिनांक 27.5.2008 को गूजर आन्दोलन का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया। निरस्ती आदेश की अपील माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर में की गई। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.09.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.02.2018 को प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थी के विरूद्ध आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी दिनांक से आज तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी का चाल चलन पुलिस द्वारा अच्छा बताया गया है। प्रार्थी को जान माल की सुरक्षा हेतु आर्म्स की अति आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या 3/2003 बहाल/नवीनीकरण किया जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र 27.05.2008 को गूजर आन्दोलन के दौरान निरस्त किया गया था। प्रार्थी ने आर्म्स अनुज्ञा पत्र को जान माल की सुरक्षा हेतु बहाल/नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया है किन्तु प्रार्थी को गत दस वर्ष में कोई जान माल का खतरा पैदा नहीं हुआ जबकि हथियार उक्त अवधि से ही थाने में जमा है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक: प.1.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 में बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत सन्तुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जावे।

दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.2.2018 में प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की सिफारिश की है। प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र गूजर आन्दोलन के दौरान निरस्त किया गया था। प्रार्थी द्वारा आर्म्स का इस अवधि में कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध शस्त्र क्रय वर्ष 2003 से आज तक थाना हाजा पर कोई भी मुंकदमा पंजीबद्ध नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थी का चाल चलन अच्छा बताया है। पुलिस को नवीनीकरण किये जाने बावत कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **" तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा । "** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल /नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/ नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी बसईडॉग को आदेश दिये जाते है, कि वे प्रार्थी का जमा शस्त्र उन्हें वापिस करें। आदेश की प्रतिलिपि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर (अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर) को दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जावे ।

आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एन. एम. पहाडिया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट
धौलपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)